लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/मान्यता/जे/फीस अधिनियम/2025/1249 भोपाल, दिनांक 15.7.2025

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. ।

विषय–म.प्र.निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) यथा संशोधित अधिनियम 2024 एवं यथा संशोधित नियम 2025 के तहत कार्यवाही विषयक।

–00–

विषयांतर्गत म.प्र.निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 में दिनांक 31.01.2025 एवं नियम 2020 में दिनांक 09.06.2025 को निम्नानुसार संशोधन किया गया है:–

संशोधित नियम 2025 के नियम 2 के उप–नियम (3) (क) के अनुसार "ये नियम ऐसे निजी विद्यालयों को जिनकी वार्षिक फीस किसी भी कक्षा के लिए रूपये 25000/– (पच्चीस हजार रूपये मात्र) से कम नहीं है, लागू होगें।"

2/ उक्तानुसार किए गए संशोधन के अनुक्रम में ऐसे विद्यालय जिनकी सभी कक्षाओं की वार्षिक फीस पृथक–पृथक रुपये 25000/– या उससे कम है, अधिनियम की परिधि में नहीं आने के कारण उन्हें तत्संबंधी शपथ पत्र रुपये 500/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत उपरांत दिनांक 08.08.2025 तक अपलोड करना अनिवार्य होगा। नोटरीकृत शपथ पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–1 अनुसार है।

3/ ऐसे निजी विद्यालय जो कि कंडिका–2 अनुसार नोटरीकृत शपथ पत्र दिनांक 08.08.2025 तक की समय–सीमा में अपलोड नहीं करते है, उन्हें म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020, यथा संशोधित नियम 2025 के प्रावधानों के दायरे में मान्य किया जायेगा। उक्त अधिनियम/नियम के समस्त प्रावधान ऐसे सभी निजी विद्यालयों पर लागू होंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(शिल्पा गुप्ता)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ. क्रमांक/मान्यता/जे/फीस अधिनियम/2025/1250 भोपाल, दिनांक 15.7.2025

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक मान. मंत्री, स्कूल शिक्षा, म.प्र. शासन
2. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
3. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल/सीबीएसई/आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
6. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, म.प्र.।
8. समस्त प्राचार्य/संचालक, अशा. विद्यालय, म.प्र. । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner

निजी विद्यालय द्वारा 500/– रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र निम्न प्रारूप अनुसार तैयार कर ऑनलाईन अपलोड किया जायेगा।

शपथ पत्र

अशासकीय विद्यालय .... डाइस कोड .... जो कि शहर/कस्बा .... ब्लॉक .... जिला .... में संचालित है। विद्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल ☐ सीबीएसई ☐ आईसीएसई ☐ अन्य कोई ☐ (यदि कोई है तो बोर्ड का नाम) .... से संबद्धता प्राप्त है तथा विद्यालय का संचालन न्यास (ट्रस्ट)/समिति/उपक्रम का नाम...के द्वारा वर्ष .... से किया जा रहा है, के अंतर्गत मैं...................................(शपथकर्ता का नाम) आधार कार्ड क्र..............................में प्राचार्य के रूप में पदस्थ/कार्यरत हूँ। मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि:–

1. यह कि उक्त विद्यालय कक्षा .... से .... तक संचालित है।
2. यह कि म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020, प्रस्तावित फीस संरचना परिशिष्ट–1 अनुसार सत्र .....में विद्यालय में संचालित सभी कक्षाओं की पृथक–पृथक कक्षाओं की वार्षिक फीस रुपये 25,000/– या उससे कम है।
3. यह कि मैं इस तथ्य से भिज्ञ हूँ कि यदि मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 यथा संशोधित नियम, 2025 के प्रावधानों के दायरे में मान्य किया जाकर उक्त अधिनियम/नियम के समस्त प्रावधान विद्यालय पर लागू होंगे तथा असत्य जानकारी प्रदान करने के संबंध में मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
4. यह कि विद्यालय को सम्बद्धता .... बोर्ड/मण्डल से प्राप्त है। संस्था प्रबंधन समय–समय पर स्कूल शिक्षा विभाग तथा संबंधित बोर्ड द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों एवं विद्यालय संचालन हेतु निर्धारित समस्त मापदण्डों का पालन करने हेतु बाध्य है।

भवदीय

( )

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/संचालक/प्रबंधक/न्यासी

विद्यालय/न्यास/समिति/उपक्रम का नाम

प्रमाणीकरण

मैं————————— आत्मज/आत्मजा श्री——————————— निवासी—————————— यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा बिन्दु क्रमांक 1 से 4 तक की दी गई जानकारी पूर्णरूप से सत्य है।

स्थानः–

दिनांक–

शपथकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner